रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 1, 2014/फाल्गुन 10, 1935
No. 98] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 1, 2014/PHALGUNA 10, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2014

सा.का.नि.132(अ).—राष्ट्रपति द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए निम्नलिखित उद्घोषणा प्रकाशित की जाती है:—

मैं, प्रणब मुखर्जी, भारत का राष्ट्रपति, यह उद्घोषित करता हूं कि आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उस रिपोर्ट पर तथा मेरे द्वारा प्राप्त अन्य सूचना पर विचार करने के पश्चात्, मेरा यह समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन भारत के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संविधान" कहा गया है) के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है ;

अतः, अब, मैं, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह उद्घोषणा करता हूं कि मैं--

(क) भारत के राष्ट्रपति के रूप में उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियों को अपने में धारण करता हूं ;

(ख) यह घोषणा करता हूं कि उक्त राज्य के विधान-मंडल की शक्तियां संसद् द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी ; और

(ग) निम्नलिखित ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध करता हूं जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं, अर्थात् :—

(i) यथापूर्वोक्त इस उद्घोषणा के खंड (क) के आधार पर अपने को धारित कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति के रूप में मेरे लिए, उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से उस सीमा तक, जितना मैं उचित समझूं, कृत्य करना विधिपूर्ण होगा ;

(ii) उस राज्य के संबंध में संविधान के निम्नलिखित उपबंधों का प्रवर्तन एतद्द्वारा निलंबित किया जाता है, अर्थात् :—

अनुच्छेद 3 के परंतुक का उतना भाग जितना राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान-मंडल के प्रति निर्देश से संबंधित है ;

अनुच्छेद 151 के खंड (2) का उतना भाग जितना भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत रिपोर्टों को राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखे जाने से संबंधित है ;

अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 ;

अनुच्छेद 166 के खंड (3) का उतना भाग जितना राज्य की सरकार के कार्य को मंत्रियों के बीच आबंटित किए जाने से संबंधित है ;

अनुच्छेद 167 ;

अनुच्छेद 169 के खंड (1) का उतना भाग जितना किसी राज्य की विधान सभा द्वारा किसी संकल्प को पारित करने से संबंधित है ;

अनुच्छेद 174 का खंड (1) और खंड (2) का उपखंड (क) ;

अनुच्छेद 175 से अनुच्छेद 177 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) ;

अनुच्छेद 179 का खंड (ग) और उस अनुच्छेद का पहला परंतुक ;

अनुच्छेद 181, अनुच्छेद 183 का खंड (ग) और उस अनुच्छेद का परंतुक ;

अनुच्छेद 185, अनुच्छेद 188, अनुच्छेद 189, अनुच्छेद 193, अनुच्छेद 194 ;

अनुच्छेद 196 से अनुच्छेद 198 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं), अनुच्छेद 199 के खंड (3) और खंड (4) ;

अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 ;

अनुच्छेद 208 से अनुच्छेद 211 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) ;

अनुच्छेद 213 के खंड (1) का परंतुक और खंड (3) का परंतुक ; और

अनुच्छेद 323 के खंड (2) का उतना भाग जितना राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रिपोर्ट के, ज्ञापन सहित, रखे जाने से संबंधित है ;

(iii) संविधान में, उक्त राज्य के संबंध में, राज्यपाल के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह राष्ट्रपति के प्रति कोई निर्देश है, और उसमें राज्य के विधान-मंडल या उसके सदनों के प्रति किसी निर्देश का, जहां तक यह उसके कृत्यों और शक्तियों से संबंधित है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह संसद् के प्रति कोई निर्देश है, तथा विशिष्टतया, अनुच्छेद 213 में राज्य के राज्यपाल और विधान-मंडल या उसके सदनों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे क्रमशः राष्ट्रपति के और संसद् के या उसके सदनों के प्रति निर्देश हैं:

परंतु इसमें की कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से अनुच्छेद 159 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं), अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा दूसरी अनुसूची के पैरा 1 से पैरा 4 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी या राष्ट्रपति को इस खंड के उपखंड (i) के अधीन उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से उस सीमा तक, जो वह उचित समझें, कृत्य करने से निवारित नहीं करेगी ;

(iv) संविधान में उक्त राज्य के विधान-मंडल के या उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमों या बनाई गई विधियों के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसमें इस उद्घोषणा के आधार पर उक्त राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संसद् द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा या संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा बनाए गए अधिनियमों या बनाई गई विधियों के प्रति निर्देश सम्मिलित है, और आंध्र प्रदेश जनरल क्लाजेज एक्ट, 1891 (1891 का आंध्र प्रदेश अधिनियम सं. 1) तथा साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) के उतने भाग का, जितना राज्य विधियों को लागू होता है, किसी ऐसे अधिनियम या विधि के संबंध में वही प्रभाव होगा, मानो वह उक्त राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम हो ।

नई दिल्ली;

1 मार्च, 2014.

प्रणब मुखर्जी
राष्ट्रपति ।

[फा. सं. वी/11013/1/2014-सीएसआर. I]

अनिल गोस्वामी, सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2014

G.S.R. 132(E).—The following Proclamation by the President is published for general information:—

Whereas, I, Pranab Mukherjee, President of India, have received a report from the Governor of the State of Andhra Pradesh and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution, and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

(a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;

(b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and

(c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely:—

(i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;

(ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely:—

so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;

so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying, before the Legislature of the State, of the reports submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;

articles 163 and 164;

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State;

article 167;

so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State;

clause (1), and sub-clause (a) of clause (2), of article 174;

articles 175 to 177 (both inclusive);

clause (c) of article 179 and the first proviso thereto;

article 181, clause (c) of article 183 and the proviso thereto;

articles 185, 188, 189, 193, 194;

articles 196 to 198 (both inclusive), clauses (3) and (4) of article 199;

articles 200 and 201;

articles 208 to 211 (both inclusive);

the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and

so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;

(iii) any reference in the Constitution to the Governor shall, in relation to the said State, be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the references in article 213 to the Governor and to the legislature of the State, shall be construed as references to the President and to Parliament or the Houses thereof respectively:

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

(iv) any reference in the Constitution to Acts or laws of, or made by, the Legislature of the said State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the said State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the

Constitution, and the Andhra Pradesh General Clauses Act, 1891 (Andhra Pradesh Act No. 1 of 1891), and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State Laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the said State.

New Delhi;

The 1st March, 2014.

PRANAB MUKHERJEE
President

[F. No. V/11013/1/2014-CSR.I]

ANIL GOSWAMY, Home Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2014

सा.का.नि. 133(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

मेरे द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 1 मार्च, 2014 को जारी उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (i) के अनुसरण में, मैं यह निदेश देता हूं कि आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, जो उक्त उद्घोषणा के खंड (क) के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा धारण की गई हैं, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी ।

नई दिल्ली;

1 मार्च, 2014.

प्रणब मुखर्जी
राष्ट्रपति ।

[फा. सं. वी/11013/1/2014-सीएसआर. I]

अनिल गोस्वामी, सचिव

ORDER

New Delhi, the 1st March, 2014

G.S.R. 133(E).—The following Order by the President is published for general information :—

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this, the 1st day of March, 2014, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Andhra Pradesh and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

New Delhi;

The 1st March, 2014.

PRANAB MUKHERJEE
President

[F. No. V/11013/1/2014-CSR.I]

ANIL GOSWAMY, Home Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.